निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 13/2023
दायरा दिनांकः—22.03.2023
निर्णय दिनांकः— 23-7-24

उनवान

कल्लु आयु 62 वर्ष पत्र प्रभु जाति ढीमर निवासी ग्राम बमोरा तहसील छबडा जिला बारां राज.

बनाम

1. शोभाराम आयु 42 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जाति भील निवासी ग्राम गणेशपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बारां।
2. फुलसिंह पुत्र केदार जाति भील निवासी ग्राम गणेशपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बारां राज.
3. बंशीलाल पुत्र हीररालाल जाति भील निवासी ग्राम गणेशपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बारां राज.
4. कुलदीप सिंह पुत्र केदार जाति भील निवासी ग्राम गणेशपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बारां राज.
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां राज0

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः— 23.7.24
अभिभाषक उपरिस्थतः—1. श्री नारायणलाल चौरसिया — वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा ,188 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि वादी के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 211/215 की खसरा नम्बर 10 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा खसरा नम्बर 11 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा खसरा नम्बर 13 रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा खसरा नम्बर 90 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा कुल किता चार रकबा 15 बीघा 04 बिस्वा भूमि वाके ग्राम बमोरा तहसील छबडा में स्थित है जिसमें वादीगण का बराबर—बराबर हिस्सा 1/2, 1/2 स्थित है। वादीगण के शामलाती खातेदारी की भूमि [illegible] में नदी किनारे स्थित है। जिसमें बरसात में पानी के बहाव से खेत में [illegible] आ जाते है। उस रेत पत्थर को प्रतिवादीगण जे0सी0बी मशीन से खोदकर ट्रेक्टर ट्रोली भरकर अवैध खनन कर ले जाते है। जब वादीगण ने [illegible] रेत पत्थर खोदने के लिये मना किया तो प्रतिवादीगण ने कहा कि [illegible] रेत पत्थर खोदने [illegible] एक लाख रूपयें साल जमा करतें है ओर प्रतिवादीगण ने जबरन वादी की खातेदारी की भूमि से रेत पत्थर खोदकर ले जाने से मना करने पर जान से मारने की धमकी दी तथा कहा कि ज्यादा करेगा तो खेंत में अफीम गाड कर तुझे फंसा देगें। वादी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:27:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

खातेदारी की भूमि से रेत पत्थर खोदने से रोकने बाबत् थाना छबडा तहसीलदार छबडा वन विभाग छबडा को प्रार्थना पत्र लिखकर दिया। किन्तु तहसीलदार छबडा वन विभाग ने भी कोई कार्यवाही नही की। यदि वादी की खातेदारी की भूमि को खोदकर पत्थर निकाल ले जाएंगे तो खोतदारी की भूमि में गड्डे हो जाएगा। इसकी पूर्ति असंभव होगी वादी की खातेदारी की भूमि को खोदकर रेत पत्थर निकाल ले जाएंगे तो खोतदारी की भूमि में गड्डे हो जाएंगे इसकी पूर्ति असंभव होगी।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 01.04.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बमोरा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 211 पेश की गई। साक्ष्य वादी में PW1 कल्लु के बयान कराये गये।

बहस अभिभाषक वादी सूनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बमोरा तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा है वादीगण के शामलाती खातेदारी की भूमि बमोरा में नदी के किनारे स्थित है बरसात में पानी के बहाव से रेत व पत्थर आ जाते है प्रतिवादीगण रेत पत्थरों को जे0सी0बी0 मशीन से खोदकर ले जाते है प्रतिवादीगण से वादी ने मना किया तो नही माने तथा जबरन वादी के खातेदारी की भूमि से रेत खोद कर ले जा रहे है इसकी सूचना थानाधिकारी तहसीलदार छबडा तथा वन विभाग को दी परन्तु कोई कार्यवाही नही की गई। अप्रार्थीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादी के खातेदारी की भूमि से अवैध खनन नही करे।

बहस अभिभाषक वादी सूनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बमोरा तहसील छबडा सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 211 के अनुसार रामप्रसाद कल्लु पुत्र प्रभु ढीमर सा0देह दर्ज रिकार्ड है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी वादी व वादी के भाई के खातेदारी में दर्ज है प्रतिवादीगण के खाते की भूमि से रेत व पत्थर का अवैध खनन करने का कोई अधिकार नही है प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का वादी अधिकारी है वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:27:11 IST
Reason: SelfAttested

:: निर्णयात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बमोरा तहसील छबडा की आराजी खसरा नम्बर 10 रकबा 02.03 बीघा खसरा नम्बर 11 रकबा 1.18 बीघा खसरा नम्बर 13 रकबा 7.19 बीघा खसरा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

नम्बर 90 रकबा 3.04 बीघा कुल 4 किता रकबा 15.04 बीघा में वादी के कब्जे काश्त की भूमि में बिना विधिक अनुमति के किसी प्रकार की रेत पत्थर खोदकर नही निकाले ऐसा कृत्य ना तो स्वंय करे और ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:27:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 13/2023	धारा 188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक:– 23.07.2024

समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**

उपस्थिति :अभिभाषकवादी:–श्री नारायणलाल चौरसिया–वादी	अभिभाषक प्रतिवादी:–श्री

वाद शीर्षक

कल्लु आयु 62 वर्ष पत्र प्रभु जाति ढीमर निवासी ग्राम बमोरा तहसील छबडा जिला बारां राज.

बनाम

1. शोभाराम आयु 42 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल जाति भील निवासी ग्राम गणेशपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बारां।
2. फुलसिंह पुत्र केदार जाति भील निवासी ग्राम गणेशपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बारां राज.
3. बंशीलाल पुत्र हीररालाल जाति भील निवासी ग्राम गणेशपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बारां राज.
4. कुलदीप सिंह पुत्र केदार जाति भील निवासी ग्राम गणेशपुरा तहसील छीपाबडौद जिला बारां राज.
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां राज0

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बमोरा तहसील छबडा की आराजी खसरा नम्बर 10 रकबा 02.03 बीघा खसरा नम्बर 11 रकबा 1.18 बीघा खसरा नम्बर 13 रकबा 7.19 बीघा खसरा नम्बर 90 रकबा 3.04 बीघा कुल 4 किता रकबा 15.04 बीघा में वादी के कब्जे काश्त की भूमि में बिना विधिक अनुमति के किसी प्रकार की रेत पत्थर खोदकर नही निकाले ऐसा कृत्य ना तो स्वंय करे और ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावे।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 23-7-24 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला–बारा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:27:11 IST
Reason: SelfAttested

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		